

7. यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा

शर्तें :-

1. आपको स्थल पर प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ की दर से पेड़ लगाना होगा।
2. आपको मानक के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
3. आपको मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्र दि० 19.03.12 द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
4. भवन में ढाँचागत सुरक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण भूकम्परोधी होने का प्रमाण पत्र दिया गया है कि निर्माण भूकम्परोधी ही होगा। कोई अप्रिय घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी पक्ष एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट की होगी।
5. शासनादेश सं०-570/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ०ब०) दिनांक 03 फरवरी, 2001 एवं शासनादेश सं०-772/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ०ब०) दिनांक 13 फरवरी, 2001 के अनुसार भूकम्परोधी व्यवस्थाओं को पूर्ण करना होगा।
6. आपको स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश का उपयोग/उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
7. भवन निर्माण सामग्री अपने भूमि पर रखने हेतु शपथ पत्र दिया गया है, जिसका अनुपालन करना होगा।
8. भू-स्वामित्व एवं रास्ते से सम्बन्धित कोई विवाद/तथ्य उजागर होता है, तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक एवं बिल्डर की होगी एवं मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
9. कूड़ा संचयन व निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी एवं सोलर वाटर हीटिंग की व्यवस्था स्थल पर सुनिश्चित करना होगा।
10. अनुवर्तित तलों पर सेटबैक में कमरों या फ्लैट से कोई पहुँच नहीं होगा।
11. स्ट्रक्चर डिजाइन को आई०टी० रुड़की विश्वविद्यालय अथवा अन्य निर्देशित तकनीकी संस्थान के स्ट्रक्चर इंजीनियर के प्रोफेसर से प्रति हस्ताक्षरित करानी होगी।
12. बेसमेन्ट में वेन्टीलेशन की व्यवस्था मानचित्र के अनुसार मेकेनिकल पद्धति पर करना होगा। बिल्डिंग लाइन से बाहर बने बेसमेन्ट का स्लैब का स्ट्रक्चर/डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार बनाना होगा।
13. पक्ष को शासनादेश संख्या-3338/आ-6-1-11-80विधि/2010 दिनांक 26.09.11 एवं इसके समकक्ष शासनादेशों का पालन करना होगा।

11/5/12

नगर अभियन्ता (भवन)
विकास प्राधिकरण, वाराणसी।